



आर.ई.ओ.-206

जोधपुर  
विद्युत वितरण  
निगम लि०

क्रमांक : जोडि/मु.अ./अ.अ. (पीपीएम)/सर्वे एण्ड अनुजांच/फा०/प्रे० 1183 जोधपुर, दिनांक 5/7/2013



विषय:- कृषि कनेक्शन आवेदको द्वारा संयुक्त जमीन होने पर सह-खातेदारों की सहमति देने के विषय में ।

डिस्कॉम समन्वय समिति की दिनांक 17 जून, 2013 को आयोजित 52 वीं बैठक में लिये गये निर्णय तथा बिन्दु संख्या 52.05 की अनुपालना में, कृषि कनेक्शन आवेदको द्वारा, संयुक्त जमीन होने पर सह-खातेदारों की सहमति की आवश्यकता के बारे में, कृषि कनेक्शन नीति-2004 के अनुसार ही कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

अतः कृषि कनेक्शन आवेदको द्वारा, संयुक्त जमीन होने पर सह-खातेदारों की सहमति देने की आवश्यकता नहीं है ।

(आर.सी. जैन)  
उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
3. निदेशक (वित्त/तकनीकी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
5. संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.स./बी.स./बाडमेर जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाडमेर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, (ए एण्ड आर/...../.....) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
7. प्रा.वे. सहा.अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जयपुर/अजमेर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर।
8. अधीक्षण अभियन्ता (आर ए एण्ड सी/टी.डब्लू /वाणिज्य /एमएमसी /एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जैसलमेर।
9. अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संघा.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालौर/बाडमेर/बीकानेर/सिरोही/जैसलमेर/चुरु / श्रीगंगानगर /हनुमानगढ़ ।
10. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये।
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) /उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
12. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सचिव, सलाहकार (एम) राजस्थान सरकार, जयपुर।
14. वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संघा./एम.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/ बीकानेर।
15. कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
16. प्रा.वे. सहायक माननीय प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
17. अधिशासी अभियन्ता (आप के अधिनिस्थ कार्यरत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की अतिरिक्त प्रतिलिपी संलग्न है।) उक्त आदेशों का कृषि उपभोक्ताओं के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये तथा उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक लाभ दिया जाये।
18. जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर